रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092024-257556
CG-DL-E-27092024-257556

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2024/आश्विन 5, 1946
No. 557]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2024/ASVINA 5, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2024

संख्या 16/2024- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 599(अ).—जब कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "सोलर पैनल /मॉड्यूल के लिए एनोडाइज्ड अल्युमिनियम फ्रेम"(एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मदों 7610 9010, 7610 9030 और 7616 9990 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्ष में, जिसे अधिसूचना संख्या 6/7/2023-डीजीटीआर, दिनांक 29 जून, 2024, के तहत दिनांक 29 जून, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि –

(i) विषयगत वस्तुओं का विषयगत देश से पाटित मूल्य पर भारत में निर्यात किया गया है;

(ii) विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के पाटन ने घरेलू उद्योग की स्थापना को धीमा कर दिया है ;

(iii) घरेलू उद्योग की स्थापना में भौतिक बाधा विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के पाटित मूल्य पर आयात के कारण हुई है,

और घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तुओं जो कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित हैं और भारत में आयातित हैं, के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उस टैरिफ मद के अंतर्गत अंतर्गत आती हैं जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त तालिका के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप की इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथाः –

तालिका

क्र. सं	टैरिफ मद	माल का विवरण	मूल का देश	निर्यात का देश	उत्पादक/ निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7610 9010, 7610 9030, 7616 9990	सोलर पैनल /मॉड्यूल के लिए एनोडाइज्ड अल्युमिनियम फ्रेम	चीन जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित कोई भी देश	जियांगयिन टिंजे न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	433	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर
2.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित कोई भी देश	जियांगयिन युआनशुओ मेटल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	505	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर
3.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित कोई भी देश	जियांग्सू यूजिया मेटालिक टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	403	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर
4.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित कोई भी देश	जियांगयिन हैहोंग न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	418	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर
					जियांगयिन हैहोंग सॉलिड-			

					एफएसडब्लू कंपनी लिमिटेड			
5.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित कोई भी देश	मेसर्स झेजियांग जियाक्सिंग ताइहे न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	511	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर
					मेसर्स जियाक्सिंग यूजिया मेटल प्रोडक्ट्स कं, लिमिटेड			
6.	-वही-	-वही-	चीन. जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्रम संख्या 1-5 के अलावा कोई अन्य	577	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर
7.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के अलावा कोई अन्य देश	चीन. जन. गण.	उपरोक्त क्रम संख्या 1-5 के अलावा कोई अन्य	577	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर

नोटः- *सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।*

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फा. सं. 190354/132/2024-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2024

No. 16/2024-Customs (ADD)

G.S.R. 599(E).—Whereas in the matter of "Anodized Aluminium Frames for Solar Panels/Modules" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 7610 9010, 7610 9030 or 7616 9990 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* notification No. 6/7/2023-DGTR, dated the 29th June, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 29th June, 2024, has come to the conclusion that—

(i) the subject goods have been exported to India from the subject country at dumped prices;

(ii) the dumping of subject goods from subject country has materially retarded the establishment of domestic industry;

(iii) material retardation to the establishment of the domestic industry has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject country,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove the injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8), of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Tariff Item	Description of goods	Country of origin	Country of Export	Producer/ Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7610 9010, 7610 9030, 7616 9990	Anodized Aluminium Frames for Solar Panels/Modules	China PR	Any Country including China PR	Jiangyin Tinze New Energy Technology Co., Ltd	433	MT	USD
2.	-do-	-do-	China PR	Any Country including China PR	Jiangyin Yuanshuo Metal Technology Co., Ltd	505	MT	USD
3.	-do-	-do-	China PR	Any Country including China PR	Jiangsu Yuejia Metallic Technology Co., Ltd	403	MT	USD
4.	-do-	-do-	China PR	Any Country including China PR	Jiangyin Haihong New Energy Technology	418	MT	USD

					Co., Ltd			
					Jiangyin Haihong Solid-FSW Co., Ltd.			
5.	-do-	-do-	China PR	Any Country including China PR	Zhejiang Jiaxing Taihe New Energy Technology Co., Ltd.	511	MT	USD
					Jiaxing Youjia Metal products Co, Ltd			
6.	-do-	-do-	China PR	Any Country including China PR	Any other than S. No. 1-5 above	577	MT	USD
7.	-do-	-do-	Any Country other than China PR	China PR	Any other than S. No. 1-5 above	577	MT	USD

Note:- *The Customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration.*

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and shall be payable in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F.No. 190354/132/2024-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.27 21:43:56 +05'30'